उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 850/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(17)-2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर माल जिनका विवरण नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारिणी के स्तम्भ-(2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, के अधीन आती है, को विनिर्दिष्ट करते है, जिनके सम्बंध में अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं होगा, जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्ति से भिन्न) की जावक पूर्तियों पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संग्रहीत किया गया हो।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
2.	5111 से 5113 तक	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
3	5208 से 5212 तक	कपास के व्यूतित फैब्रिक

	5309 से 5311 तक	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
6	5512 से 5516तक	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
7	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्तित है
9	8602	अन्य रेल लोकोमोटिवय लोकोमोटिव टेंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
10	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 से भिन्न हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेनें, बेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)

13	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं
14	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल–स्टाक के पुर्जे जैसे बोगियां, बिसल–बोगिया, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे
15	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंगय रेलों, ट्रामों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान–क्षेत्रों के यांत्रिक (जिसमें विद्युत यांत्रिक भी सम्मिलित हैं) के लिये संकेतन, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे।

स्पष्टीकरण .

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51, सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिनमें भाग और अध्याय गत टिप्पणी तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी, यथासम्भव, इस अधिसूचना के निर्वचन हेतु प्रयुक्त होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।